भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE ... EES

हरियाणा HARYANA

B 865584

किस्म वसीका	स्टाम्प	किता	शब्द
रिलिन्कविस डीड	300/–	3	300

मनके श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी कैप्टेन अजय सिंह यादव निवासी साहरनवास, तहसील व जिला रेवाड़ी सचिव राव अभय सिंह शिक्षा संस्थान गांगोली तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

..........प्रथमपक्ष रिलिन्कविशकर्ता

व

राव अभय सिंह कालेज आफ एजूकेशन साहरनवास, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

..........द्वितिय पक्ष रिलिन्कविशगृहिता

जो कि आराजी जरई वाका मौजा गांगोली तहसील व जिला रेवाड़ी खेवट नं0 12 खतौनी नं0 12 मु0 नं0 22 किला नं0 11(8–0), 12(8–0),13(8–0), 18(9–16), 19(8–0), 20(8–0), कुल किता 6 रकबा 49 कनाल 16 मरला का 480/996 भाग बकदर 24 कनाल की राव अभय सिंह शिक्षा संस्थान गांगोली तहसील व जिला रेवाड़ी मुख्य कार्यालय

Shakuntla yadav

PRINCIPAL
RAO ABHAY SINGH
COLLEGE OF EDUCATION
SAHARANWAS (REWARI)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA E 453592

माडल टाऊन रेवाड़ी बरूये वसीका नं0 7958 दिनांक 30.03.2006 द्वारा मालिक काबिज चली आती है। प्रथम पक्ष एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है व द्वितिय पक्ष इसी का एक अंग है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की वर्किंग कमेटी व कार्यकारिणी के सदस्य एक ही है। यह कि प्रथम पक्ष ने दिनांक 01.09.2006 को प्रस्ताव नं0 6 द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि उपरोक्त आराजी में जो संस्था है उसका नाम राव अभय सिंह कालेज आफ एजूकेशन रखा जाए तथा इस जायदाद के मालिकाना हक द्वितीय पक्ष के हक में ट्रान्सफर कर दिये जाए कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्व सम्मति से पास कर दिया। दिनांक 19.08.2010 के प्रस्ताव नं0 28 द्वारा मुझ प्रथम पक्ष को यह अधिकार दिये गये कि मैं उपरोक्त जायदाद 24 कनाल के सभी मालिकाना हक व हकूक द्वितीय पक्ष के नाम पर ट्रान्सफर कर दूँ। सो आज दिन मैं अपने पूर्ण होंश व हवाश में अपनी मर्जी व खुशी से उपरोक्त जायदाद खेवट नं0 12 खतौनी नं0 12 मु0 नं0 22 किला नं0 11(8–0), 12(8–0),13(8–0), 18(9–16), 19(8–0), 20(8–0), कुल किता 6 रकबा 49 कनाल 16 मरला का 480/996 भाग बकदर 24 कनाल के सभी हक व हकूक द्वितीय पक्ष यानि राव अभय सिंह कालेज आफ एजूकेशन साहरनवास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा) के हक

PRINCIPAL
RAO ABHAY SINGH
COLLEGE OF EDUCATION
SAHARANWAS (REWARI)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

B 865586

में तर्क कर दिये है। अब द्वितिय पक्ष को पूरी तरह से प्रथम पक्ष जैसा मालिक काबिज बना दिया है इन्तकाल तर्क आराजी द्वितिय पक्ष के हक में दर्ज व मन्जूर करा दूंगी या इस रिलिन्कविश डीड की रूह से रिलिन्कविश गृहिता स्वयं करा लेवे ऐतराज नही होगा।

अतः यह रिलिन्कविश डीड तहरीर कर दी है कि सनद रहे और समय पर काम आवे। तारीख 20 अगस्त सन् 2010

AMAR SINGH YADAV
Advocate
Distt. Courts, Rewari

रिलिन्कविशकर्ता — श्रीमती शकुन्तला देवी सचिव राव अभय सिंह शिक्षा संस्थान गांगोली तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)।

रिलिन्कविशगृहिता — राव अभय सिंह कालेज आफ एजूकेशन साहरनवास, तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा) मारफत श्रीमती शान्ति देवी पत्नी राव अभय सिंह उप प्रधान।

Shanti Devi.

गवाह :—अनिल गुप्ता एडवोकेट गवाह :—
रेवाड़ी।

PRINCIPAL
RAO ABHAY SINGH
COLLEGE OF EDUCATION
SAHARANWAS (REWARI)